

ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर,  
वाराणसी, आगरा, प्रयागराज, कानपुर एवं  
गोरखपुर सम्भाग-ए एवं झॉसी।

उ0प्र0 व्यापार कर संग्रह अमीन सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली दिनांक 03 फरवरी 2016 में की गयी व्यवस्थानुसार विभागीय वसूली योजना से संबंधित 20 जनपदों में कार्यरत संग्रह सेवकों से संग्रह अमीन के पद पर पदोन्नति के संबंध में मुख्यालय पर गठित चयन समिति द्वारा विचारोपरान्त पात्र संग्रह सेवकों में कुल 10 संग्रह सेवकों को संग्रह अमीन के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र पाया गया है। जिसका अनुमोदन कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0 द्वारा कर दिया गया है।

प्रदत्त नियमावली के अनुसार संग्रह अमीनों के नियुक्ति प्राधिकारी ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, संभाग-ए हैं। अस्तु जनपदवार कार्यरत संग्रह सेवकों जिनका चयन संग्रह अमीन के पद पर पदोन्नति हेतु किया गया है, का विवरण आपको इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि आप अपने स्तर से नियमानुसार पदोन्नति आदेश जारी करना सुनिश्चित करें व उन्हें वर्तमान तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कराकर उसकी सूचना तत्काल मुख्यालय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नत संग्रह अमीनों की तैनाती का आदेश मुख्यालय स्तर से निर्गत किया जा सके। यहाँ यह भी स्पष्ट करना है कि उक्त कार्यवाही दि0 09.06.2021 तक पूर्ण किया जाना अपेक्षित है। इस कार्य में किसी भी प्रकार का विलम्ब वांछनीय नहीं है।

क0सं0	ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	कर्मचारी का नाम/पिता का नाम	तैनाती का स्थान/ जिला
1	269	श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री वासुदेव,	झॉसी
2	284	श्री उदय वीर सिंह, पुत्र श्री राम खिलावन	हमीरपुर/झांसी
3	312	श्री हरिनाथ राम पुत्र स्व0 श्री अरथराम	वाराणसी
4	321	श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी स्व0 श्री कृष्ण सिंह,	आगरा
5	328	श्री मूल चन्द्र पुत्र श्री सदावली	वाराणसी
6	333	श्री राम गरीब पुत्र श्री गुलेश्वर	प्रयागराज
7	336	श्री बृजेन्द्र सिंह, पुत्र श्री तुलाराम	कानपुर
8	337	श्री मोहित कुमार मिश्रा, पुत्र श्री बृजनन्दन मिश्रा,	कानपुर
9	343	श्री अनिल कुमार चावला पुत्र स्व0 श्री गोबिन्द राम चावला	आगरा
10	346	मो0 मुस्तकीम पुत्र श्री मु0 सुलेमान	गोरखपुर

संबंधित नियन्त्रक अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि उपरोक्त पदोन्नत कार्मिकों को पदोन्नति आदेश तामील कराते हुए उनके वर्तमान तैनाती स्थान पर ही संग्रह अमीन के पद पर कार्यभार ग्रहण करायेँ और इसकी सूचना मुख्यालय को भी उपलब्ध करायेँ।

संबंधित नियन्त्रक अधिकारी कृपया यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उपर्युक्त पदोन्नत कार्मिकों के विरुद्ध यदि अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित हो अथवा आरोप पत्र निर्गत हो या सतर्कता जांच/ईओडब्ल्यू आदि गम्भीर प्रकृति की जांच चल रही हो अथवा अन्य कोई ऐसा कारण यथा विभागीय जांच/अन्य विपरीत तथ्य हों, जिससे पदोन्नति किया जाना उचित न हो तो ऐसे कार्मिकों पर उक्त पदोन्नति आदेश क्रियान्वित न किया जाय, बल्कि ऐसे कार्मिकों की पदोन्नति निरस्त कराने हेतु वांछित सूचना अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से मुख्यालय को तत्काल उपलब्ध करायें।

ह0 /


(सूर्यमणि लालचंद)

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन सं० व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्य. कर उ०प्र०।
2. जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, झाँसी, वाराणसी, आगरा, प्रयागराज, कानपुर एवं गोरखपुर
3. ज्वाइन्ट कमिश्नर(आई०टी०) वाणिज्य कर मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. अधिष्ठान पटल, संग्रह अनुभाग।

  
(देव मणि शर्मा)

ज्वाइन्ट कमिश्नर (संग्रह) वाणिज्य कर,  
मुख्यालय, लखनऊ।